न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 40 / 2015
विषय दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18.03.2020

1. मुरारी सिंह पुत्र जवालसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर)राज.
2. मोहनसिंह पुत्र जवालसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर)राज.
3. अशोक कुमार पुत्र जवाल सिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर)राज.
4. द्वारिका प्रसाद पुत्र जवालसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर)राज.
5. अंगूरी पत्नि जवालसिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर)राज.
6. ओमवती पुत्री जवाल सिंह जाति जाट निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई(भरतपुर)राज.

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एडवो

निर्णय दिनांक 18.03.2020 दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

1. यह कि वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।
2. यह कि आराजी हाल खसरा न. 1327 / 0.27, 1336 / 0.04, 1338 / 0.05, 1786 / 0.07, 1787 / 0.02, वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई में स्थित है। जिसका वादी राजस्व रिकॉर्ड गैरखातेदार दर्ज है। जो कि उक्त आराजी को वादी खातेदार की तरह से जोत बो रहा है।
3. यह कि उक्त आराजी वादी को जरिये पट्टे प्राप्त हुयी। उक्त आराजी पट्टा जारी होने से पहले सिवायचक इन्द्राज रहा है। जिसका विधिवत प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी हुआ है। इसके बाद वादी के पक्ष मे दिनांक 02.05.1994 को इन्तकाल न. 842 पर खातेदार दर्ज हुआ, तथा खसरा न. 933, 934, 1107 / 1295 का नामांतकरण सं. 209 पर तहसीलदार नदबई कैम्प जहांगीरपुर पर अलॉटमेन्ट 11–12 दिनांक 08.11.1977 पर वादी के पक्ष में गैरखातेदार के रूप मे इन्द्राज हुआ है।
4. यह कि हाल खसरा न. 1327 / 0.13 का साबिक खसरा न. 946 रकबा 10 बिस्वा नामांतकरण सं. 842, हाल खसरा न. 1363 / 0.04, साबिक न. 933, 3336 / 0.05 साबिक न. 934, हाल

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

खसरा न. 1786/907 साबिक न. 1106/1295 हाल खसरा न. 1787/242 साबिक न. 1106/1295 जिसका नामांतरकरण सं. 209 दिनांक 29.11.1977 को गैरखातेदारान इन्द्राज किया है। इस प्रकार वादी पट्टा दिनांक से ही मद न. 2 में वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त है। परन्तु खातेदारी इन्द्राज न होने की वजह से वादी किसान कार्ड अथवा अन्य लाभ नहीं ले पा रहा है।

5. यह कि दिनांक 05.05.2015 वादी हल्का पटवारी व तहसीलदार नदबई को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज कराने हेतु निवेदन किया तो मना कर दिया और कहा कि हम तो उक्त पट्टे को खारिज कर देंगे।

अतः प्रार्थना है कि विवादित आराजी दर्ज गैरखातेदारी इन्द्राजात को कलमतन खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, तथा अपना जबाब दावा पेश किया गया। अपने जबाब में वर्णित किया कि नामांतकरण सं. 209 व 842 से रकबा जवालसिंह पुत्र बुधी के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके नये खसरा न. 1327 रकबा 0.13, 1336 रकबा 0.4, 1338 रकबा 0.5, 1786 रकबा 0.07, 1787 रकबा 0.02 कुल किता 5 कुल रकबा 0.31 है. दर्ज रिकॉर्ड गैरखातेदार है। मुताबिक नक्शा व मजे आम जानकारी से खसरा न. 1327 रकबा 0.13 व 1336 रकबा 0.04 बन्ध की पाल व खसरा न. 1786,1787 सडके किनारे स्थित है। कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य पेश नही है। अतः दावा काबिल खारिजी के है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :–

1. आया वादीगण आराजीयात वादीगण के पिता को जरिये पट्टा प्राप्त हुयी है। जरिये अलॉटमेन्ट वादीगण गैरखातेदार दर्ज है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं –जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण अपने आपको मुताबिक पट्टा दिनांक 08.11.1977 गैरखातेदारान से खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।– जिम्मेवादीगन
3. आया प्रतिवादीगण मुताबिक नक्शा खसरा न. 1327,1336 बन्ध की पाल पर है एवं आराजी खसरा न. 1786, 1787 सडक किनारे है। अतः कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य नहीं है।– जिम्मेप्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे हाल जमाबंदी संवत 2067–70 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल 2060 प्रदर्श–2,3, नकल नामांतकरण सं. 209 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श –4, नकल जमाबंदी संवत 2035 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–6, नकल नामांतकरण सं. 842 वाके ग्राम जहांगीरपुर प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श–8 वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पेश की गयी।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी हल्का गोबरा पटवार मण्डल पेश की गयी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानों का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है :-

1. आया वादीगण आराजीयात वादीगण के पिता को जरिये पट्टा प्राप्त हुयी है। जरिये अलॉटमेन्ट वादीगण गैरखातेदार दर्ज है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी/खसरा सं. 643 वाके ग्राम जहांगीरपुर पर पेश की गयी। जिस पर वादीगण को दिनांक 28.11.1977 को सिवायचक से कैम्प जहांगीरपुर में अलॉट की गयी, तथा गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ परंतु वादीगण द्वारा जरिये अलॉटमेन्ट का न तो कोई पट्टा पेश किया गया तथा मौके पर किसी भी प्रकार कब्जेकाश्त की साक्ष्य पेश नहीं किये गये। जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता को जरिये पट्टा प्राप्त हुयी है। अत उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय कि जाती है।
2. आया वादीगण अपने आपको मुताबिक पट्टा दिनांक 08.11.1977 गैरखातेदारान से खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,188 के तहत खातेदारी घोषणा का पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा व बहस में कहा है कि वादीगण विवादित आराजी में गैरखातेदार है। विवादित भूमि वादीगण के पूर्वजों को अलॉट हुयी थी। वादीगण अब विवादित भूमि पर खातेदारी करवाना चाहते हैं। गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त करवाने की एक पृथक प्रक्रिया है जो राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित है। वादीगण गैरखातेदारी से खातेदारी करवाने की प्रक्रिया के द्वारा खातेदारी प्राप्त क्यों नहीं की गयी इसका अपने दावापत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है, तथा न ही वादीगण द्वारा किसी प्रकार का पट्टा पेश नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजी जरिये अलॉट से गैरखातेदारी के रूप में आयी हो। अत उक्त तनकी भी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।
4. आया प्रतिवादीगण मुताबिक नक्शा खसरा न. 1327,1336 बन्ध की पाल पर है एवं आराजी खसरा न. 1786, 1787 सडक किनारे है। अत: कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य नहीं है।- उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का था। प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट हल्का पटवारी प.म. गोबरा पेश कि गई जिसमें ख0न0 1327,1336 बन्ध की पाल पर है एवं आराजी खसरा न. 1786, 1787 सडक किनारे है। जो कि बांध की सीमा क्षेत्र में आते हैं। वादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त का रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। अत उक्त तनकी भी वादीगण के खिलाफ व प्रति के पक्ष में तय कि जाती है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण को निर्देश किया जाता है कि वादीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करवाने की प्रकिया के तहत विवादित भूमि पर खातेदारी प्राप्त करे। अतः आदेश है कि वादीगण का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

([illegible] R.A.S.)
[illegible] नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner